



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपकम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 495 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2011-45-मा०सं०(04) / 2008

दिनांक ५ मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 641 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2009-45-मा०सं०(04) / 2008 दिनांक 24.04.2009 के प्रस्तर 3(ग) में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

"उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के सेवारत/सेवा निवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः परिजनों एवं परिवारिक पेंशनरों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकल्प/विकल्पोंग आश्रितों हेतु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष को इस प्रतिबन्ध के साथ समाप्त किया जाता है कि प्रतिपूर्ति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति को किसी भी स्रोत से आय अर्जित करने का कोई संसाधन नहीं है।"

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 495 (1) मा०सं० (04) / उ०नि०लि० / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ अफिसर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/मा०सं०/वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/लखनऊ।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि० (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(चिकित्सा/औ०सं०/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं० 906, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
10. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट छितवापुर भुइयन, 12 आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
11. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा)/अनुसचिव(02)/अधिशासी अभियन्ता(03)/ (अनुशासनिक कार्यवाही), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
12. उप मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
13. कट फाइल।

PM-3
५३२१५७

आज्ञा से,
१५/५/२०११
(एम०डी० मिश्र)
अनुसचिव (मा०सं०-04)